



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237610
CG-DL-E-28072022-237610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3239]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3401(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला आगरा (NH321G) के कि.मी. 0 से 25.5 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH321G पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अपर जिलाधिकारी (भू.अ), आगरा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH321G के कि.मी. 0 से 25.5 तक	उत्तर प्रदेश	आगरा	एत्मादपुर	1	खांडा
						2	आँवल खेड़ा
						3	ऊँचा
						4	अगरपुर
						5	मुंडी जहाँगीरपुर
						6	नादउ
						7	पोइया
						8	जमालनगर भैंस
						9	अमानाबाद
						10	चिरहौली
						11	नरयाच
						12	उसमानपुर

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3401(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 25.5 of District Agra (NH321G) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH321G in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional District Magistrate(LA), Agra	0KM To 25.5KM	UTTAR PRADESH	AGRA	Etmadpur	1	Khanda
						2	Anwal Khera
						3	Uncha
						4	Agarpur
						5	Mundi Jahangirpur
						6	Nadau
						7	Poiya
						8	Jamalnagar Bhains
						9	Amanabad
						10	Chirhauri
						11	Naryach
						12	Usmanpur

[F. No. CE-RO/LKO/NH-321G/LA/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director